

श्रीमान सदस्य महोदय, रेवन्यू बोर्ड ग्वालियर कोर्ट कैम्प रीवा (म0प्र0)
R. 5052-घ0/16



श्रीमती विद्यावती पत्नी राजकुमार द्विवेदी उम्र 52 वर्ष निवासी खीरा तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0।पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. रावेन्द्र प्रसाद
2. सुरेन्द्र प्रसाद
3. दशरथ प्रसाद सभी के पिता स्व0 रामावतार तिवारी साकिम पहड़िया तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0।

.....गैरपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण बावत अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के प्रकरण क0 16-अ-6/2011-12 दिनांक 30/12/2015 के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू.रा.सं.1959 ई.

श्री कमलेश्वर तिवारी
व्यवसाय 4-2-16
कलर्क आफ कोर्ट
रेवन्यू मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

महोदय,

पुनरीक्षण के आधार निम्न है-

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय माननीय अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के ग्राम पंचायत पहड़िया पटवारी हल्का पटना के पंजी क0 5 के आदेश दिनांक 26/04/2007 की अपील एवं म्यादि अधिनियम की धारा 5 का आवेदन माननीय अधीनस्थ न्यायालय के न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30/12/2015 को निरस्त कर दिया है


R

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5052-II/16

जिला-रीवा

विद्यावती द्विवेदी/रावेन्द्र प्रसाद वगैरः

(1)	(2)	(3)
17.05.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	